निजी एमएसएमई औद्योगिक पार्क के लिए एक फीसदी ब्याज पर ऋण

10 से 50 एकड़ जमीन पर विकसित करना होगा निजी औद्योगिक पार्क

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। प्रदेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 10 से 50 एकड़ भूमि पर निजी औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर निवेशकों को मात्र एक प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से ऋण दिया जाएगा। इसके लिए जमीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में शत प्रतिशत छूट भी मिलेगी। वहीं, निजी औद्योगिक पार्क में एमएसएमई यूनिट स्थापित करने के लिए भूखंड खरीदने पर भी स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट मिलेगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार शाम आयोजित कैबिनेट बैठक में निजी औद्योगिक पार्क की विकास योजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत निजी औद्योगिक पार्कों के भूखंडों के आवंटन, संचालन व मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के रखरखाव का पूरा दायित्व निजी विकासकर्ता का होगा। विकासकर्ता की ओर से क्लस्टर पर आधारित औद्योगिक पार्कों के विकास से संबंधित प्रस्तावों को वरीयता प्रदान की जाएगी। उनकी ओर से विकसित किए गए औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम प्रति एकड़ 1 इकाई को भूखंड आवंटित किया जाना अनिवार्य होगा तथा कुल विकसित भूमि में से 75 प्रतिशत भूखंड एमएसएमई इकाइयों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

2500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि योजना के लिए सरकार ने 2500 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड का कॉरपस बनाया जाएगा।

शराब होगी महंगी

योगी कैबिनेट ने नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। आबकारी नीति 2023-24 में शराब और बीयर की दुकानों की लाइसेंस फीस दस फीसदी बढ़ाई गई है। सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग से करीब 45 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है। यह पिछले वर्ष के लक्ष्य से पांच हजार करोड़ अधिक है। आबकारी नीति में किए गए प्रावधानों से देशी, अंग्रेजी और प्रीमियम ब्रांड की शराब के दामों में पांच से दस रुपये का इजाफा हो सकता है।

आबकारी लाइसेंस फीस बढ़ी

आबकारी नीति की खास बातें

- नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय यथावत रखा गया है। पर विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में बढ़ोतरी की जा सकेगी।
- मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से तीन लाख कर दी गई है। ऐसे में वहां शराब पीने पर अब ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते है।
- देशी, विदेशी शराब, बीयर, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होगा। इसकी फीस बढ़ाई गई है।
- नवीनीकरण से बचे दुकान ई-लॉटरी से आवंटित किए जाएंगे।
- गोदामों के लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति में वृद्धि की गई है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण और नवीनीकरण फीस को भी बढ़ा दिया गया है।
- लखनऊ नगर निगम क्षेत्र व इसकी परिधि से पांच किमी तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट व क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ाई गई है।